कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

राजगढ़,दिनांक 2 /04/2020

—:: आदेश ::—

क्रमांक/4139 /एस.डब्ल्यू/2020, कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु जिला राजगढ़ मे कोरोना संकमण के संबंध मे विशेष सावधानी रखने के उद्देश्य से जिले के नागरिकों हेतु यह आदेश जारी किया जाता है कि वर्तमान मे जिले मे निवासरत ऐसे व्यक्ति जो ऐसे स्थानों से आये हुये है,जहां कोरोना संकमण फैला हुआ है, ऐसे सभी निवासी अपने–अपने क्षेत्र के वार्ड प्रभारी / ग्राम पंचायत सचिव को सूचित करेंगे तथा उक्त के निर्देशानुसार निकटतम शासकीय चिकित्सालय मे अपने स्वास्थ्य की जॉच करायेगें ।

अतः उपरोक्त आदेश के उपरान्त भी यदि कोई व्यक्ति संकमित स्थानों से आये जाना प्रमाणित होता है, एंव उनके द्वारा आदेश के अनुकम मे सूचना दी जाकर स्वास्थ्य की जॉच नही करवाई हो तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्व आदेश की अवेहलना मानी जाकर भारतीय दण्ड संहिता की धारा–188 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी ।

(नीरज कुमार सिंह)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला राजगढ़(ब्यावरा)म0प्र0

पृ.क्रमांक/4140/एस.डब्ल्यू/2020,
राजगढ़ दिनांक 02.04.2020

प्रतिलिपि :—

1. आयुक्त भोपाल सम्भाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) समस्त जिला राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. तहसीलदार समस्त जिला राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (समस्त) जिला राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा समस्त ग्राम पंचायत सचिवों को सूचित करने बाबत् ।
7. मुख्य नगर पालिका अधिकारी (समस्त) राजगढ़ एंव समस्त वार्ड प्रभारियों को सूचित करने बाबत।
8. ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर समस्त जिला राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु , सी.ई.ओ. जनपद/सी.एम.ओ. नगर निकायों से सूचना प्राप्त होने पर संबंधितो की स्वास्थ्य जॉच हेतु ।
9. स्टेनो टू–कलेक्टर राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. उप संचालक/सहायक संचालक, सूचना प्रकाशन, जिला राजगढ़ की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश का समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला राजगढ़ (ब्यावरा)म0प्र0

Scanned with CamScanner